



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246939
CG-DL-E-01072023-246939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

मामला सं. एसजी (क्यूआर)- 04/2023

[रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 5 के अंतर्गत]

विषय : भारत में लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात के संबंध में सुरक्षा (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच की शुरूआत।

फा. सं. 22/4/2023 डीजीटीआर—1. समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड, सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वेदांत माल्को एनर्जी लिमिटेड और वीज़ा कोक लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “याचिकाकर्ताओं” भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ‘प्राधिकारी’ भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें भारत में लो ऐश मेटलर्जिकल कोक (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच (मात्रात्मक प्रतिबंध) शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद अर्थात् लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयातों की मात्रा में अचानक से, तेज, महत्वपूर्ण और हाल में वृद्धि हुई है, जिसने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाना शुरू

कर दिया है तथा आगे और अधिक क्षति का खतरा उत्पन्न कर रही है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के अयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में केवल एक वर्ष के लिए रक्षोपाय लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. आवेद में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद लो ऐश मेटलर्जिकल कोक है, यानी मेटलर्जिकल कोक जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है। इसे आमतौर पर बाजार की भाषा में मेट कोक या कोक के नाम से जाना जाता है। उच्च राख सामग्री वाला मेटलर्जिकल कोक, यानी 18% से ऊपर राख सामग्री विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
4. मेट कोक का उपयोग उन उद्योगों में प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है जहां भट्टियों या भट्टियों में उच्च और समान तापमान की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, रासायनिक संयंत्रों, लौह मिश्र धातु संयंत्रों, फाउंड्रीज़ और पिग आयरन संयंत्रों में किया जाता है।
5. उत्पाद को एचएस कोड 2704 0030 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 27 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 सहित विभिन्न अन्य एचएस कोड के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. याचिकाकर्ताओं ने द्वितीयक स्रोत से विचाराधीन उत्पाद के आयात डेटा के साथ-साथ सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विदेशी उत्पादकों के विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी जानकारी को अपनाया है।

ख. समान वस्तु

7. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल भारत में आयात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और भारत में आयात किये जा रहे विचाराधीन उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों का दावा है कि ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।
8. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9ए(4)(बी) निम्नानुसार प्रदान करती है "घरेलू उद्योग" का अर्थ है वस्तुओं के उत्पादक (कृषि वस्तुओं के उत्पादकों सहित)
 - (i) भारत में समग्र रूप से समान वस्तुएँ या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुएँ; या
 - (ii) जिसका भारत में समान वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है;
9. सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 का नियम 2(ई) समान वस्तुओं को इस प्रकार परिभाषित करता है: "(ई) "समान सामान" का मतलब वह सामान है जो जांच के तहत सामान के सभी मामलों में समान या समान है, या ऐसे सामान की अनुपस्थिति में, अन्य सामान जिनकी विशेषताएं जांच के तहत सामान से काफी मिलती-जुलती हैं"

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. आवेदन बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड, सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वेदांत माल्को एनर्जी लिमिटेड और वीज़ा कोक लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में समान वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं।
11. नियमों के नियम 2(ई) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए(4)(बी) के तहत याचिकाकर्ताओं का कुल घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा है, जो घरेलू उद्योग है।

घ. जांच की अवधि

12. आवेदकों ने वर्तमान जांच में जांच की अवधि अप्रैल 2022-दिसंबर 2022 तक प्रस्तावित की है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में अचानक, तेज, महत्वपूर्ण और हाल ही में वृद्धि हुई है। हालाँकि, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अप्रैल 2022-मार्च 2023 को सबसे हालिया अवधि माना है।

ड. अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि

13. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अप्रैल 2022-दिसंबर 2022 में विचाराधीन उत्पाद के आयात में पूर्ण रूप से और घरेलू उत्पादन के सापेक्ष अचानक, तेज और हाल ही में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह ध्यान दिया जाता है कि अप्रैल 2022-दिसंबर 2022 में वार्षिक आधार (POI) पर आयात 10.03 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया है, जो 2021-22 में आयात की तुलना में 40% की वृद्धि है। कुल मांग के सापेक्ष आयात की बाजार हिस्सेदारी भी वार्षिक आधार पर 2021-2022 में 42% से बढ़कर अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 में कुल मांग का 52% हो गई है।
14. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि आयात मुख्य रूप से कई अप्रत्याशित कारकों के कारण बढ़ा है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण, कच्चे माल यानी कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतें बढ़ गईं, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए मेट कोक के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई।
- आवेदकों ने दावा किया है कि रूस से आयात पर विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कोयले की कीमतें बढ़ी हैं। रूस कोयले का प्रमुख निर्यातक है, इन प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति बाधाओं के कारण कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई और चीन को रूस से निकटता के कारण माल ढुलाई लाभ प्राप्त हुआ।
- वैश्विक स्तर पर कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के बाद माल ढुलाई दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलिया, चीन और इंडोनेशिया में मेट कोक के उत्पादकों को कोयले की घरेलू उपलब्धता के कारण खरीद की लागत में वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ा। इस प्रकार, माल ढुलाई दरों का ऐसे देशों में उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

च. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा और आयात तथा गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध

15. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि हाल के दिनों में पर्याप्त मात्रा में विचाराधीन उत्पाद के आयात में अचानक और महत्वपूर्ण तेज वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान होने लगा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि बढ़े हुए आयात से गंभीर क्षति का खतरा भी पैदा हो गया है।
16. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन की जांच करने के बाद, प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया पाया कि अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप हाल की अवधि के दौरान विषय वस्तु के आयात में वृद्धि हुई है और इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने लगी है, सबसे हालिया अवधि।

छ. रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच की शुरुआत

17. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर खुद को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकरण मानता है कि नियम 5 के तहत सुरक्षा जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप हाल की अवधि में आयात में अचानक और तेजी से वृद्धि हुई है, और क्या इस तरह के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर चोट लगने का खतरा है या पैदा हुआ है, यह निर्धारित करने के लिए नियम। आवेदकों ने केवल एक वर्ष के लिए सुरक्षा (मात्रात्मक प्रतिबंध) उपाय लागू करने का दावा किया है।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर प्राधिकारी को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पत्तों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in, तथा jd16-dgtr@gov.in, पर वर्तमान जांच से संबंधित सूचना भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
19. जांच में हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) को सूचित करने की सलाह और

- ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने की एतद्वारा सलाह दी जाती है।
20. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
 21. कोई हितबद्ध पक्षकार ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकता है।
 22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसे प्रस्तुत किए जाने के लिए एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।
 23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को उसके साथ अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
 24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
 25. गोपनीयता/अगोपनीय अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या अगोपनीय स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उस अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 26. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभावित रूप से गोपनीय है और/या ऐसी अन्य सूचना जिससे प्रदाता ने उसके गोपनीय होने का दावा किया है। स्वाभावित रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए या अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
 27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। यदि कोई इच्छुक पक्ष गोपनीयता के दावे से संतुष्ट नहीं है, तो पार्टी दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के सात (7) दिनों के भीतर दावे पर आपत्ति उठा सकती है।
 28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
 30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/ अनुरोधों को साझा करना
31. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है कि सभी हितबद्ध पक्षकार किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें। वर्तमान महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी।

ठ. असहयोग

32. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

Case No - SG (QR) – 04/2023

[Under Rule 5 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012]

Subject: -Initiation of Safeguard (Quantitative Restrictions) investigation concerning imports of Low Ash Metallurgical Coke into India.

F. No. 22/4/2023-DGTR.—1. Having regards to the Section 9 A of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), BLA Private Limited, Jindal Coke Limited, Saurashtra Fuels Private Limited, Vedanta Malco Energy Limited and Visa Coke Limited (hereinafter also referred to as the “applicants”) have filed an application for initiation of a safeguard investigation and imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions concerning imports of Low Ash Metallurgical Coke (hereinafter also referred to as the “product under consideration”) into India.

2. The applicants have alleged that there has been sudden, sharp, significant and recent increase in the volume of imports of the product under consideration, i.e., Low Ash Metallurgical Coke, in India which has started causing serious injury to the domestic industry and is posing threat of further aggravated injury. Accordingly, the applicants have requested for imposition of Safeguard Measures in the form of quantitative restrictions on the imports of the product under consideration into India for one year only.

A. Product Under Consideration

3. The product under consideration defined in the application is Low Ash Metallurgical Coke, that is, Metallurgical Coke having ash content below 18%. It is commonly known as Met Coke or Coke in the market parlance. Metallurgical Coke with high ash content, that is, ash content above 18% is outside the scope of the product under consideration.
4. Met Coke is used as a primary fuel in industries where a high and uniform temperature is required in furnaces or kilns. It is used majorly in steel plants, chemical plants, ferro alloy plants, foundries and pig iron plants.
5. The product is classified under Chapter 27 of Schedule I to the Customs Tariff Act under the HS Code 2704 0030. The product under consideration is also being imported under various other HS Codes including 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.
6. The applicants have adopted the import data of the product under consideration from the secondary source as well as the technical information of the product under consideration of the foreign producers available in public domain.

B. Like Article

7. The applicants have stated that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration being imported into India. It has been stated that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the product under consideration being imported into India. The applicants claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the

present investigation, the goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported into India.

8. Section 9A(4)(b) of Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 provides as follows

"domestic industry" means the producers of goods (including producers of agricultural goods)

(i) *as a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or*

(ii) *whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India;*

9. Rule 2(e) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules, 2012 defines like goods as:

"(e) "like goods" means goods which is identical or alike in all respects to the goods under investigation, or in the absence of such goods, other goods which has characteristics closely resembling those of the goods under investigation"

C. Domestic Industry and Standing

10. The application has been filed by BLA Coke Private Limited, Jindal Coke Limited, Saurashtra Fuels Private Limited, Vedanta Malco Energy Limited and Visa Coke Limited. The applicants are engaged in the production of the like article in India.

11. The petitioners account for a major proportion of the total domestic production, constituting domestic industry under Section 9A(4)(b) of the Act read with Rule 2(e) of the Rules.

D. Period of investigation

12. The applicants have proposed period of investigation in the present investigation from April 2022-December 2022. The petitioners have submitted that there has been a sudden, sharp, significant and recent surge in imports of the product under consideration in India. However, the Authority has considered April 2022-March 2023 as the most recent period for the purpose of the present investigation.

E. Increase in imports as a result of unforeseen developments

13. The petitioners have claimed that there is a sudden, sharp and recent significant increase in the imports of the product under consideration in April 2022-December 2022 both in absolute terms as well as relative to domestic production. It is noted that the imports in April 2022-December 2022 on annualized basis (POI) have increased by 10.03 lakh metric ton, which is 40% increase as compared to the imports in 2021-22. The market shares of imports relative to total demand has also increased from 42% in 2021-2022 to 52% of total demand in April 2022 to December 2022 on annualized basis.

14. The petitioners have claimed that the imports have increased primarily due to a number of unforeseen factors, including the following:

- a. Due to Russia-Ukraine conflict, the prices of coal increased globally due to increase in the prices of raw material that is, coking coal, leading to an increase in the cost of production of Met Coke for the domestic producers.
- b. The applicants have claimed that prices of coal increased due to sanctions imposed by various countries on imports from Russia. Russia being the major exporter of coal, these sanctions led to increase in coal prices due to supply constraints and China benefitted due to proximity to Russia by gaining the freight advantages.
- c. There was significant increase in freight rates post COVID-19 related lockdowns globally. The producers in Met Coke in Australia, China and Indonesia did not face an increase in the cost of procurement due to the domestic availability of coal. Thus, the freight rates did not impact the producers in such countries.

F. Serious injury and threat of serious injury to the domestic industry and causal link between imports and serious injury and threat of serious injury

15. The petitioners have claimed that sudden, sharp and significant increase in the import of the product under consideration in substantial quantity in recent times has started causing serious injury to the domestic industry. The petitioners have also contended that the increased imports also pose a further threat of serious injury.

16. After examining the application filed by the petitioners, the Authority, *prime facie*, finds that imports of the subject goods have increased during the most recent period as a result of unforeseen development and the

same have started causing serious injury to the domestic industry in the most recent period. Further, the imports pose a threat of serious injury.

G. Initiation of Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Investigation

17. On the basis of the duly substantiated application filed by the petitioners, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, the Authority considers that there is sufficient evidence to justify initiation of safeguard investigation under Rule 5 of the Safeguard Rules to determine whether imports have increased suddenly and sharply in the recent period as a result of unforeseen developments, and whether such increased imports have caused or pose a threat of serious injury to the domestic industry. The applicants have claimed to impose safeguard measures for one year only.

H. Submission of Information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, within 30 days from the date of receipt of the notice. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
19. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit specified above.
20. All known interested parties are being informed separately to enable them to file the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit specified above.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit specified above.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
25. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. In case any interested party is not satisfied on the claim of confidentiality the party can raise an objection on the claim within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the documents.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied, the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

I. Sharing of responses / submissions amongst interested parties

31. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the non-confidential version of the submissions made to all other interested parties. The public file will not be accessible physically due to the ongoing pandemic.

J. Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. and Designated Authority